

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 363

दिनांक:- 18/4/2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स नॉर्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लि० का 400 के०भी० टंडवा से चंदवा तक कुल 56.3254 हे० वनभूमि (लातेहार वन प्रमंडल में 28.4841 हे० तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में 27.8413 हे०) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव का संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/JH/Trans/40694/2019/43 दिनांक 17.01.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/Trans/40694/2019/43 हेतु कुल (56.3254 हे०) वनभूमि अपयोजन हेतु कुल 23 शर्तों पर स्टेज-I की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ज्ञातव्य है कि इस परियोजना में दो वन प्रमंडल क्रमशः लातेहार एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल शामिल है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 855 दिनांक 06.04.2022 एवं पत्रांक 575 दिनांक 04.04.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 881 दिनांक 06.04.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगायी गई शर्तों का आंशिक अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

शर्त सं० B-5 (पिलरींग कार्य) का अनुपालन नहीं किया गया था। इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 338 दिनांक 08.04.2022 एवं पत्रांक 507 दिनांक 10.05.2023 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया। तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1238 दिनांक 16.05.2023 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 385 दिनांक 19.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी, द्वारा शर्त सं० 03 के अनुपालन में उद्धित किया गया था कि "The user agency has not fully complied this conditions" इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1104 दिनांक 03.11.2023 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों से पृच्छा की गयी तदोपरांत इस कार्यालय द्वारा पृच्छित बिन्दु का संशोधित निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 483 दिनांक 12.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/हजारीबाग एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का समेकित अनुपालन निम्नवत् है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department	
1	The cost of compensatory afforestation (CA) to the extent of twice the diversion area on Degraded Forest Land (Gross area-113 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस मद में कुल 2,27,47,473.00 (Rs. Two crore twenty seven lac forty seven thousand four hundred seventy three only) vide NEFT/ RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA dated 17.02.2022 for Compensatory Afforestation over an area of 56.00 Ha. degraded forest land and including the cost of survey, demarcation and fixation of permanent pillars. जमा कर दिया गया है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल-Annexure I. लातेहार वन प्रमंडल- Annexure III.

	pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.													
2	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 56.3254 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.</p>	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि User Agency has deposited Rs. 6,92,00,824.00 (Rs. Six crore ninety two lac eight hundred twenty four only) vide NEFT/ RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA dated 17.02.2022 as NPV for 27.8413 Ha Forest Area which is to be diverted.</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure I लातेहार वन प्रमंडल— Annexure III.</p>												
3	<p>As recommended by the Reginal Empowered Committee, a Wildlife Management Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife)& Chief Wildlife Warden, Jharkhand. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi for information / acceptance within 15 days of the issuance of this approval. Failing above, it shall be deemed that there is no requirement of such dedicated Plan in the extent proposal . The</p>	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस मद में प्रमंडलवार राशि जमा की गयी है। जो निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th><th>प्रमंडल का नाम</th><th>WLMP</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>लातेहार</td><td>2,90,00,100.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>चतरा दक्षिणी</td><td>17,29,0000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल :-</td><td>4,62,90,100.00</td></tr> </tbody> </table> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure I लातेहार वन प्रमंडल— Annexure III.</p>	क्र	प्रमंडल का नाम	WLMP	1	लातेहार	2,90,00,100.00	2	चतरा दक्षिणी	17,29,0000.00		कुल :-	4,62,90,100.00
क्र	प्रमंडल का नाम	WLMP												
1	लातेहार	2,90,00,100.00												
2	चतरा दक्षिणी	17,29,0000.00												
	कुल :-	4,62,90,100.00												

	cost of the all component of Wildlife Management Plan under FC approval should be strictly deposited in CAMPA account without any deviation.																													
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न-भिन्न मदों में जमा की गई राशि की विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत् है:-</p> <table><tr><th>क्र</th><th>प्रमंडल का नाम</th><th>CAकी राशि एवं पिलरिंग सीमांकन कार्य की राशि</th><th>NPV की राशि</th><th>Dwarf species</th><th>WLMP</th><th>कुल</th></tr><tr><td>1</td><td>लातेहार</td><td>9,40,59,27.00</td><td>3,49,95,281.00</td><td>2,40,21,447.00</td><td>2,90,00,100.00</td><td>9,74,22,755.00</td></tr><tr><td>2</td><td>चतरा दक्षिणी</td><td>1,33,41,546.00</td><td>3,42,05,543.00</td><td>2,32,94,003.00</td><td>17,29,0000.00</td><td>8,81,31,092.00</td></tr><tr><td></td><td>कुल :-</td><td>2,27,47,473.00</td><td>6,9,20,0824.00</td><td>4,73,15,450.00</td><td>4,62,90,100.00</td><td>18,55,53,847.00</td></tr></table> <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 18,55,53,847.00 (अठारह करोड़ पचपन लाख तिरपन हजार आठ सौ सैंतालिस रु०) मात्र कैम्पा खाता सं० 150726440694820 एवं 150726440694405 में RTGS के माध्य से Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, phase-1, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा किया गया है। जिसका UTR No. DEUTR92022022106000010X एवं UTR No. DEUTR92022033106000003X है।</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure I लातेहार वन प्रमंडल— Annexure III.</p>	क्र	प्रमंडल का नाम	CAकी राशि एवं पिलरिंग सीमांकन कार्य की राशि	NPV की राशि	Dwarf species	WLMP	कुल	1	लातेहार	9,40,59,27.00	3,49,95,281.00	2,40,21,447.00	2,90,00,100.00	9,74,22,755.00	2	चतरा दक्षिणी	1,33,41,546.00	3,42,05,543.00	2,32,94,003.00	17,29,0000.00	8,81,31,092.00		कुल :-	2,27,47,473.00	6,9,20,0824.00	4,73,15,450.00	4,62,90,100.00	18,55,53,847.00
क्र	प्रमंडल का नाम	CAकी राशि एवं पिलरिंग सीमांकन कार्य की राशि	NPV की राशि	Dwarf species	WLMP	कुल																								
1	लातेहार	9,40,59,27.00	3,49,95,281.00	2,40,21,447.00	2,90,00,100.00	9,74,22,755.00																								
2	चतरा दक्षिणी	1,33,41,546.00	3,42,05,543.00	2,32,94,003.00	17,29,0000.00	8,81,31,092.00																								
	कुल :-	2,27,47,473.00	6,9,20,0824.00	4,73,15,450.00	4,62,90,100.00	18,55,53,847.00																								
5	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FRA 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त चतरा एवं लातेहार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है।</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -3 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure -IA</p>																												
6	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage -II approval.	<p>संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त किया गया है कि The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -3 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure - IA.</p>																												
7	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	<p>प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है।</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -4 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure - IB.</p>																												

8	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	The compliance report has been uploaded by U/A on e-portal (https://parivesh.nic.in/) इस स्तर से भी अपलोड किया जा रहा है।
B:	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 6 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure II.
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 113 ha. degraded forest land (Site – Bargaon , Thana-Tandwa /66, Plot No 1259P,1278P, 1514P, 1515P under Chatra South Forest Division and Site Manika , Thana-Latehar/92 Plot No 923, 924P, 925P, 913P,911P under Latehar Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त किया गया है कि we Agree and it shall be complied without fail. चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -1 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure III.
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -7 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure IV.
4	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -8 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure V.

	strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 385 दिनांक 19.07.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1238 दिनांक 16.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त का अनुपालन कर दिया है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 9 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure VI.
6	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/ Wild Animals in forest area at their own cost. The concerned DFO shall inspect the area and shall take a decision as to the specific towers which shall be fenced.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 10 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure VII.
7	Width of Right of Way for the Transmission Line shall limited to 46 m.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 11 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure VIII.
8	The height at the maximum sagging point of the transmission lines should be maintained more as prescribed general clearance/ height. As proposed by State Forest Department , minimum 25 feet height at the maximum sagging point of the transmission line should be maintained in consultation with concerned DFO	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 12 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure IX.
9	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines:	
(a)	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 400 KV D/C line will be 7 m only.	

	The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	
(b)	Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	
(c)	In the remaining width of Right of Way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 7 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductor are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है।</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure -13</p> <p>लातेहार वन प्रमंडल— Annexure X.</p>
(d)	The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस मद में User Agency has deposited Rs. 4,73,15,450.00 (Rs. four crore Seventy three lac fifteen thousand four hundred fifty only) vide NEFT/ RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA dated 17.02.2022 as Dwarf Species plantation for 27.8413 Ha Forest Area which is to be diverted.</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 1</p> <p>लातेहार वन प्रमंडल— Annexure III.</p>
10	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable interval to avoid bird hits	<p>प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है।</p> <p>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 14</p> <p>लातेहार वन प्रमंडल— Annexure XI.</p>
11	The user agency in consultation with the concerned DFO shall	<p>प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है।</p>

	create and maintain alternate habitat/home for avifauna, who's nesting trees are to be cleared in the project. Bird nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlement adjoining the forest area being diverted for the project. A regular annual monitoring report regarding this shall be placed to IRO Ranchi by the concerned DFO.	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 15 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure XII.
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 16 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure XIII.
13 a	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 17 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure XIV.
b	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	
c	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	
14 a	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 18 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure - XV.
b	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	
c	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies,	

	department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	
15	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the in interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनद्धता दी गयी है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल—Annexure - 19 लातेहार वन प्रमंडल— Annexure X VI.

वन विभागीय पत्रांक 1130 दिनांक 12.04.2022 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यानुमति प्रदान की गयी है जिसकी समय सीमा दिनांक 11.04.2023 को समाप्त हो गयी है।


भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगायी गई शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 56.3254 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कारवाई करने की कृपा की जाय।


संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु० यथोक्त।

दोनों वन प्रमंडल की अनुपालन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन


प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


18.4.24



कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू।

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर– 822101

Tel.-06562-295542, 295543/8987790231

Email-rccf-palamu@gov.in

पत्रांक 575 दिनांक 04.04.2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :-

मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लिमिटेड का 400 KV/DC नोर्थ कर्णपूरा से चंदवा तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु (लातेहार वन प्रमण्डल में 28.4841 हे० तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में 27.8413 हे०) कुल- 56.3254 हे० वन भूमि अयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग -

भवदीय कार्यालय का पत्रांक 45 दिनांक 18.01.2022 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 184 दिनांक 02.04.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 184 दिनांक 02.04.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयक परियोजना में आच्छादित होने वाले कुल-56.3254 हे० (लातेहार वन प्रमण्डल में 28.4841 हे० तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में 27.8413 हे०) वन भूमि का अपयोजन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/JH/TRANS/40694/2019/43 दिनांक 17.01.2022 द्वारा कुल 23 शर्तों के साथ सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है।

भारत सरकार द्वारा लगाये गये उक्त शर्तों के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 460 दिनांक 27.03.2024 संलग्न कर शर्तवार मंतव्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर से प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अधीन विषयक वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का स्टेज-II की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्राप्त अनुशंसा से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं।

अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा विषयक वन भूमि अपयोजन का सैद्धांतिक सहमति से अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ अनुशंसा के साथ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
04.04.24

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
पलामू, मेदिनीनगर

[Signature]
04.04.2024

936

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर 822101

Tel.-06562-295542/295543/8987790231

Email- rccf-palamu@gov.in

पत्रांक- 855 दिनांक 6/4/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

सह-

कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय:-

मेसर्स नॉर्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लिमिटेड का 400 के0 भी0/डी0 सी0 नॉर्थ कर्णपुरा से चंदवा तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 56.3254 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल में 28.4841 हे0 तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में 27.8413 हे0) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक 45 दिनांक 18.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में नार्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना टण्डवा से चन्दवा तक 400 के.भी. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 56.3254 हे0 (चतरा दक्षिणी- 27.8413 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल- 28.4841 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तल मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/TRANS/40694/2019/43 दिनांक 17.01.2022 द्वारा 23 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक (Stage-I) सहमति प्रदान की गई है। इन शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ने अपने पत्रांक 324 दिनांक 05.04.2022 द्वारा शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया है। शर्तवार अनुपालन की स्थिति निम्नतव है:-

Condition No.	Condition	Compliance
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department	
(1)	The cost of compensatory afforestation (CA) to the extent of twice the diversion area on Degraded Forest Land (Gross area-113 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2,27,47,473.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु माँगी गई राशि एवं प्रस्तावित स्थल में पिलरिंग सीमांकन कराने हेतु माँगी गई राशि सहित कुल रू0 94,05,927.00 (चौरान्चे लाख पांच हजार नौ सौ सताईस रुपया मात्र) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु0-III के रूप में संलग्न है।
(2)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 56.3254 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 6,92,00,824.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत 28.4841

VP

	24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	हे0 अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध एन0पी0भी0 के रूप में माँगी गई राशि 3,49,95,281.00 (तीन करोड़ उन्चास लाख पंचान्चे हजार दो सौ एकासी रुपया) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु0-III के रूप में संलग्न है।
(3)	As recommended by the Reginal Empowered Committee, a Wildlife Management Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife)& Chief Wildlife Warden, Jharkhand. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi for information / acceptance within 15 days of the issuance of this approval. Failing above, it shall be deemed that there is no requirement of such dedicated Plan in the extent proposal. The cost of the all component of Wildlife Management Plan under FC approval should be strictly deposited in CAMPA account without any deviation.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4,62,90,100.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें चतरा लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि 2,90,00,100.00 (दो करोड़ नब्बे लाख एक सौ रुपया) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु0-III के रूप में संलग्न है।
(4)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा सभी मदों के लिए माँगी गई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा खाता में जमा किया गया है। मदवार राशि की विवरणी एवं ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति अनु0-III के रूप में संलग्न है।
(5)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध वनाधिकार अधिनियम-2006 से संबंधित उपायुक्त, लातेहार निर्गत प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही की प्रति अनु0-IA के रूप में संलग्न है।
(6)	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोडिंग की कार्यवाही प्रगति में है।
(7)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-IB के रूप में संलग्न है।
(8)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-IC के रूप में संलग्न है।

✓

B:	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
(1)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-II के रूप में संलग्न है।
(2)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 113 ha. degraded forest land (Site - Bargaon , Thana- Tandwa /66, Plot No 1259P,1278P, 1514P, 1515P under Chatra South Forest Division and Site Manika , Thana- Latehar/92 Plot No 923, 924P, 925P, 913P,911P under Latehar Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 9405927.00 रुपये ई-चालान के माध्यम से MoEF के पोर्टल पर जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।
(3)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-IV के रूप में संलग्न है।
(4)	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-V के रूप में संलग्न है।
(5)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-VI के रूप में संलग्न है।
(6)	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/ Wild Animals in forest area at their own cost. The concerned DFO shall inspect the area and shall take a decision as to the specific towers which shall be fenced.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-VII के रूप में संलग्न है।
(7)	Width of Right of Way for the Transmission Line shall limited to 46 m.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-VIII के रूप में संलग्न है।
(8)	The height at the maximum sagging point of the transmission lines should be maintained more as prescribed general clearance/ height. As proposed by State Forest Department , minimum 25 feet height at the maximum sagging point of the transmission line should be maintained in consultation with concerned DFO	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-IX के रूप में संलग्न है।
(9)	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines:	
(a)	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 400 KV D/C line will be 7 m only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-X के रूप में संलग्न है।
(b)	Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	
(c)	In the remaining width of Right of Way	

	<p>felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 7 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductor are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.</p>	
(d)	<p>The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4,73,15,450.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें जिसमें लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत औषधीय पौधे रोपण हेतु माँगी गई राशि 2,40,21,447.00 (दो करोड़ चालीस लाख एककीस हजार चार सौ सैतालिस रुपया) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु०-III के रूप में संलग्न है।</p>
(10)	<p>The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable interval to avoid bird hits</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XI के रूप में संलग्न है।</p>
(11)	<p>The user agency in consultation with the concerned DFO shall create and maintain alternate habitat/home for avifauna, who's nesting trees are to be cleared in the project. Bird nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlement adjoining the forest area being diverted for the project. A regular annual monitoring report regarding this shall be placed to IRO Ranchi by the concerned DFO.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XII के रूप में संलग्न है।</p>
(12)	<p>The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XIII के रूप में संलग्न है।</p>
(13)	<p>(a) No labour camp shall be established on the forest land.</p> <p>(b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.</p> <p>(c) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XIV के रूप में संलग्न है।</p>
(14)	<p>(a) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.</p> <p>(b) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.</p> <p>(c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XV के रूप में संलग्न है।</p>
(15)	<p>Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the in interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XVI के रूप में संलग्न है।</p>


✓

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल से प्राप्त CAMPA Levies विहित प्रपत्र में पाँच प्रतियों में संलग्न भेजते हुए कार्यानुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि विषयक परियोजना में कार्यानुमति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। शर्त संख्या बी0 (5)के अनुपालन कराये जाने हेतु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

अनु:—यथोक्त।

आपका विश्वासी,


क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू।



कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

सेवा में,

पत्रांक : 483

दिनांक : 12.3.2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय:—

मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लिमिटेड का 400 के०भी० टंडवा से चंदवा तक कुल 56.3254 हे० वनभूमि (लातेहार वन प्रमंडल में 28.4841 हे० तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में 27.8413 हे०) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:—

भवेदीय पत्रांक 1104 दिनांक 03.11.2023

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा याचित प्रतिवेदन के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 523 दिनांक 11.03.2024 द्वारा विषयक परियोजना टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत नार्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना टण्डवा से चन्दवा तक 400 के०भी० डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.6243 हे० (चतरा दक्षिणी-27.8413 हे० एवं लातेहार वन प्रमंडल-27.7830 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक सहमति (स्टेज-I) के शर्तों का शर्तवार संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसकी पांच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०—यथोक्त।

आपका विश्वासी,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।



कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग। वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

सेवा में,

पत्रांक : 881

दिनांक : 06.4.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत नार्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना टण्डवा से चन्दवा तक 400 के.मी. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 56.3254 हे० (चतरा दक्षिणी— 27.8413 हे० एवं लातेहार वन प्रमंडल— 28.4841 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा दिये गए प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

आपका ज्ञापांक 45 दिनांक 18.01.2022

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत नार्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना टण्डवा से चन्दवा तक 400 के.मी. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 56.3254 हे० (चतरा दक्षिणी— 27.8413 हे० एवं लातेहार वन प्रमंडल— 28.4841 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तल मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/TRANS/40694/2019/43 दिनांक 17.01.2022 द्वारा 23 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक (Stage-I) सहमति प्रदान की गई है। इन शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पत्रांक 296 दिनांक 05.04.2022 द्वारा शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया है। शर्तवार अनुपालन की स्थिति निम्नतव है:-

Condition No.	Condition	Compliance
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department	
(1)	The cost of compensatory afforestation (CA) to the extent of twice the diversion area on Degraded Forest Land (Gross area-113 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2,27,47,473.00 रूपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 56 हे० में क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु माँगी गई राशि एवं प्रस्तावित स्थल में पिलरिंग सीमांकन कराने हेतु माँगी गई राशि सहित कुल रू० 1,33,41,546.00 (एक करोड़ तैतीस लाख इकतालीस हजार पाँच सौ छियालिस रूपया मात्र) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु०-I के रूप में संलग्न है।

(2)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 56.3254 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 6,92,00,824.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 27.8413 हे० अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध एन०पी०भी० के रूप में माँगी गई राशि 3,42,05,543.00 (तीन करोड़ बैयालीस लाख पाँच हजार पाँच सौ तेतालीस रुपया) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु०-I के रूप में संलग्न है।
(3)	As recommended by the Reginal Empowered Committee, a Wildlife Management Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife)& Chief Wildlife Warden, Jharkhand. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi for information / acceptance within 15 days of the issuance of this approval. Failing above, it shall be deemed that there is no requirement of such dedicated Plan in the extent proposal. The cost of the all component of Wildlife Management Plan under FC approval should be strictly deposited in CAMPA account without any deviation.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4,62,90,100.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि 1,72,90,000.00 (एक करोड़ बहतर लाख नब्बे हजार रुपया) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु०- I&IA के रूप में संलग्न है।
(4)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा सभी मदों के लिए माँगी गई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा खाता में जमा किया गया है। मदवार राशि की विवरणी एवं ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति अनु०- I&IA के रूप में संलग्न है।
(5)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध वनाधिकार अधिनियम-2006 से संबंधित उपायुक्त, चतरा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही की प्रति अनु०-III के रूप में संलग्न है।
(6)	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	इस शर्त के आलोक में ससमय अनुपालन करने हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
(7)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०- IV के रूप में संलग्न है।



(8)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-V के रूप में संलग्न है।
B:	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
(1)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-VI के रूप में संलग्न है।
(2)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 113 ha. degraded forest land (Site - Bargaon, Thana-Tandwa /66, Plot No 1259P,1278P, 1514P, 1515P under Chatra South Forest Division and Site Manika, Thana- Latehar/92 Plot No 923, 924P, 925P, 913P,911P under Latehar Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	इस शर्त के आलोक में ससमय अनुपालन करने हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
(3)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-VII के रूप में संलग्न है।
(4)	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-VIII के रूप में संलग्न है।
(5)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-IX के रूप में संलग्न है।
(6)	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/ Wild Animals in forest area at their own cost. The concerned DFO shall inspect the area and shall take a decision as to the specific towers which shall be fenced.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-X के रूप में संलग्न है।
(7)	Width of Right of Way for the Transmission Line shall limited to 46 m.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XI के रूप में संलग्न है।
(8)	The height at the maximum sagging point of the transmission lines should be maintained more as prescribed general clearance/ height. As proposed by State Forest Department, minimum 25 feet height at the maximum sagging point of the transmission line should be maintained in consultation with concerned DFO	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XII के रूप में संलग्न है।

	(c) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	
(14)	<p>(a) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.</p> <p>(b) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.</p> <p>(c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.</p>	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XVIII के रूप में संलग्न है।
(15)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the in interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु०-XIX के रूप में संलग्न है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की चार प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। साथ ही साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि शर्त संख्या बी०(५) के अनुपालन में अपयोजित होनेवाली वनभूमि पर पीलर का निर्माण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं कराया गया है। इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित की गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से प्राप्त CAMPA Levies विहित प्रपत्र में चार प्रतियों में संलग्न भेजते हुए कार्यानुमति हेतु अनुरोध किया गया है। इसकी चार प्रतियाँ मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतएव अनुरोध है कि विषयक परियोजना में कार्यानुमति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। शर्त संख्या बी० (५)के अनुपालन कराये जाने हेतु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

अनु:-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
 इजराबाग।


(9)	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines:	
(a)	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 400 KV D/C line will be 7 m only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XIII के रूप में संलग्न है।
(b)	Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	
(c)	In the remaining width of Right of Way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 7 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductor are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	
(d)	The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4,73,15,451.00 रुपया ई-चलान के माध्यम कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जिसमें जिसमें चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत औषधीय पौधे रोपण हेतु माँगी गई राशि 2,32,94,004.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख चौरानबे हजार चार रुपया) भी सन्निहित है। ऑन-लाईन जनरेटेड चलान की प्रति एवं राशि जमा विवरणी अनु0-I & IA के रूप में संलग्न है।
(10)	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable interval to avoid bird hits	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XIV के रूप में संलग्न है।
(11)	The user agency in consultation with the concerned DFO shall create and maintain alternate habitat/home for avifauna, who's nesting trees are to be cleared in the project. Bird nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlement adjoining the forest area being diverted for the project. A regular annual monitoring report regarding this shall be placed to IRO Ranchi by the concerned DFO.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XV के रूप में संलग्न है।
(12)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XVI के रूप में संलग्न है।
(13)	(a) No labour camp shall be established on the forest land. (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रमाण-पत्र अनु0-XVII के रूप में संलग्न है।